रजिस्ट्री सं. डी.एस.- 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-06012020-215180 CG-DL-E-06012020-215180

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3 उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 79] No. 79] नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 6, 2020/पौष 16, 1941 NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 6, 2020/PAUSHA 16, 1941

गृह मंत्रालय

(सीटीसीआर प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 06 जनवरी, 2020

का.आ. 81(अ).—राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में का.आ. 2937(अ), दिनांक 9 अगस्त, 2019 के तहत प्रकाशित अधिसूचना के अधिक्रमण में, सिवाय उन कार्यों के, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण के पूर्व सम्पादित कर लिया गया था अथवा करने से लोप कर दिया गया था, केंद्रीय सरकार कलकत्ता उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से, एतद्वारा बिचार भवन, कलकत्ता स्थित विशेष सीबीआई न्यायालय सं. 3 को राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण द्वारा अन्वेषण किए जाने वाले अनुसूचित अपराधों के विचारण के लिए उक्त अधिनियम की धारा 11 की उक्त उप-धारा (1) के उद्देश्य हेतु विशेष न्यायालय के रूप में नामोद्दिष्ट करती है।

ऊपर उल्लिखित विशेष न्यायालय का क्षेत्राधिकार पूरे पश्चिम बंगाल राज्य (दार्जीलिंग, जलपाईगुड़ी तथा कूच बेहर जिलों को छोड़कर) में होगा।

[फा. सं. 11011/06/2019/एनआईए (पार्ट-I)]

पियूष गोयल, संयुक्त सचिव

108 GI/2020 (1)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS (CTCR DIVISION) NOTIFICATION

New Delhi, the 06th January, 2020

S.O. 81(E).—In exercise of the powers conferred by section 11 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008), the Central Government in supersession of the notification of the Government of India, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 2937(E), dated the 9th August, 2019, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government in consultation with the Hon'ble Chief Justice of the High Court, Calcutta, hereby designates the Special CBI Court No. 3 at Bichar Bhawan, Calcutta as the Special Court for the purpose of sub-section (1) of section 11 of the above said Act for the trial of the Scheduled Offences investigated by the National Investigation Agency.

The jurisdiction of the Special Court mentioned above shall extend throughout the State of West Bengal (except the Districts of Darjeeling, Jalpaiguri and Cooch Behar).

[F. No. 11011/06/2019/NIA (Part-I)]

PIYUSH GOYAL, Jt. Secy.